



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122021-232071  
CG-DL-E-22122021-232071

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4948]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2021/पौष 1, 1943

No. 4948]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021/PAUSA 1, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5339(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 (इसके पश्चात इसे उक्त आदेश कहा गया है) में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) में "01.01.2022" अंकों को "01.01.2023" अंकों से प्रतिस्थापित होगा।

3. उक्त आदेश में तालिका को निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"तालिका

वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
घरेलू रेफ्रिजरेटिंग उपकरण	आईएस 17550 (भाग 1): 2021	घरेलू रेफ्रिजरेटिंग उपकरण-विशेषताएं और परीक्षण पद्धति भाग-1 सामान्य अपेक्षाएं।
फ्रीज़र	आईएस 7872: 2018	फ्रीज़र- विशेषताएं।"

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 4489(अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2020 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था।

[फा. सं. 29026/3/2019-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

**ORDER**

New Delhi, the 22nd December, 2021

**S.O. 5339(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Refrigerating Appliances (Quality Control) Order, 2020, namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2.** In the Refrigerating Appliances (Quality Control) Order, 2020 (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 1, in sub-paragraph(2), for the figures "01.01.2022", the figures "01.01.2023" shall be substituted.

**3.** In the said order, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

**"TABLE**

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Household Refrigerating Appliances	IS 17550 (Part 1): 2021	Household Refrigerating Appliances—Characteristics and Test Methods Part-1 General Requirements.
Freezers	IS 7872: 2018	Freezers- Specification."

**Note :** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 4489(E), dated the 10th December, 2020.

[F. No. 29026/3/2019-LEI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.